

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीगंधी नगर वनाग जंगल

क्रि.सं. मुकदमा प्र.पत्र 111-127 नं. 37 का. 2520

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इतिहासगत जज	न्याय व तारीख अहकाम जो हुकम की सादील म जारी हुए
2-5-20	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जींच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन भोटिसा जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 16-6-20 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
6-6-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त हैं । अवकाश पर है / पदरिक्त है । अब: पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो । रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7-7-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त हैं । अवकाश पर है / पदरिक्त है । अब: पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो । रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28-7-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त हैं । अवकाश पर है / पदरिक्त है । अब: पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो । रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7-8-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित; विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौफा बिपीट प्राप्त हुई जिसे शा.पं की गई, विपक्षीगण को कितनी मर्तवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफ कार्य बारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं प्रार्थीगण की संयुक्त स्वादेदारी होने से विपक्षीस. उ को विपक्षी बनाया गया। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही नया इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ
---------------	-----------------------------------	--

स्वीकार किया जाकर विरिय प्रपक से लिखा  
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली  
फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page, mostly illegible due to fading.]*

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

ठासीन अधिकारी - कृष्णमाल सिंह बख्त, आर.ए.एस.

कसमा संख्या - 37/20

- श्रीमती जम्मू योश्री शंकरदास वैरागी निवासी-कोचरिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- श्री शंकरदास श्रील दुदास वैरागी निवासी कोचरिया तहसील-माण्डल [काँरा]  
(पृष्ठांकित प्रा.पत्र संख्या है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोचरिया पटवार हलका मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 521, 522, 890/508 कुल किता 03 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिदा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-5-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोचरिया पटवार हलका मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 521, 522, 890/508 कुल किता 03 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 450/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा